

महत्वपूर्ण निर्देश - 1

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक : 1043/14-2/तक./गु.नि./2010 दिनांक : 25/03/2010

प्रति,

संचालक,
कृषि
छत्तीसगढ़

विषय :- कृषि संबंधी inputs के गुण नियंत्रण बाबत ।

कृषि आदान जैसे - बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के गुण नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा संबंधित अधिनियम/आदेशों के अंतर्गत वैधानिक प्रावधान किये गये हैं।

2. वर्ष 2009-10 में बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के निर्माता/विक्रेता के यहाँ निरीक्षण एवं नमूने जाँच की कार्यवाही संबंधित जिले के निरीक्षक एवं पंजीयन अधिकारियों द्वारा की गई होगी। उन कार्यवाहियों में कितने विक्रेता/निर्माताओं के यहाँ कमियाँ/अमानक स्तर के बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि प्राप्त हुये एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र में 15 अप्रैल, 2010 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. जिन विक्रेता/निर्माता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है, उनके विरुद्ध कार्यवाही तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

(डी.एस. मिश्र)
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव, कृषि


//2//

पृष्ठांकन क्रमांक : 1044/14-2/ तक./गु.नि./2010
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 25/03/2010

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
2. कलेक्टर (समस्त), छत्तीसगढ़।
3. संयुक्त संचालक, कृषि (समस्त), छत्तीसगढ़।
4. उप संचालक, कृषि (समस्त), छत्तीसगढ़।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कृषि उत्पादन आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव, कृषि

(कृषि उत्पादन आयुक्त)
कृषि उत्पादन आयुक्त
प्रमुख सचिव, कृषि

